

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 103

दिनांक : 24.4.18

श्रीमान् उपवन संरक्षक,
बारां।

विषय :- जिला बारां/वन मण्डल बारां में Const. of Ramgarh-Kalapatta Road to Karwala Laxmipur के निर्माण में 2.00 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में। (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/6988/2014)

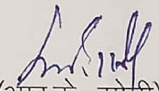
प्रसंग :- वन संरक्षक (केन्द्रिय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय, लखनऊ का पत्र क्रमांक 2009 दिनांक 16.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि सिंगल लेन रोड में IRC द्वारा फोरमेशन चौड़ाई 7.5 मीटर प्रस्तावित की है, परन्तु आर.आर.एस.एम.पी. सड़कों में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डवलपमेन्ट के पत्र दिनांक 17.07.2013 का विवरण संलग्न है, जिसके बिन्दु संख्या 4.2 के पेरा (1) में रोड की चौड़ाई 7.50 मीटर की जगह 6.00 मीटर लेने हेतु निर्देशित किया है, जो संलग्न है।

अतः IRC व मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डवलपमेन्ट की गाइड लाइन के अनुसार सड़क का क्रोस सेक्शन जो 8.0 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित है, संलग्न है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


(आर.के. सोमी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

The diagram illustrates a cross-section of a road structure. The top layer is labeled "PATRI WITH GSB C-III" with a width of 1.125m. Below it is a "3.75 BT LAYER" with a width of 1.125m. The bottom layer is labeled "4.10 METER gsb". The total width of the top two layers is 6.00m. The structure is supported by "EARTHWORK" on both sides, with a "BERMS" indicated on the left. The slopes are labeled "SLOPE 2:1". Dimensions include 0.50m, 0.15m, 0.20m, and 1.00m.

Final

अधिकांश अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद